कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा–2
Mail ID-rwdeedbg2@gmail.com

पत्रांक 733. / दिनांक 25/04/2024

प्रेषक,

ई0 अवधेश कुमार
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा–2

सेवा में,

Jai Mata Di Enterprises,
Prop-Dukhi Kumary Yadav,
Vill-Pathra, Khirma,
Keoti, Dist-Darbhanga.

विषयः– शीर्ष MMGSY योजना अन्तर्गत **Railway Gumti Chandauna to Mushari tola** तक पथ निर्माण कार्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य के संबंध में।

प्रसंगः– एकरारनामा संख्या– **24 SBD/2018-19** दिनांक– **06.12.2018**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित पथ का एकरारनामा आपके द्वारा एकरारनामा संख्या– **24 SBD/2018-19** दिनांक–**06.12.2018** को विधिवत किया गया एवं पथ का मूल कार्य दिनांक–04.09.2019 को पूर्ण किया गया है। आप अच्छी तहर अवगत है कि पूर्ण किये गये पथ का पॉच वर्षीय अनुरक्षण कार्य कारना एकरारनामा का भाग है। अनुरक्षण कार्य करने हेतु बार–बार मौखिक रूप से एवं मोबाईल द्वारा भी निर्देशित किया जाता रहा है, परन्तु अद्यतन आपके द्वारा अनुरक्षण कार्य नही किया गया है, जो कि एकरारनामा की शर्तो के विरूद्ध आचरण है। ज्ञातव्य हो कि उक्त पथ का अनुरक्षण की जॉच संबंधित सहायक अभियंता द्वारा भी **BRRMS App** से दिनांक–22.11.2023 एवं 23.03.2024 किया गया, जिसमें U ग्रेडिंग प्रदान की गई। जिसकी सूचना आपके मोबाईल ऐप के माध्यम से दिया गया है साथ ही संबंधित सहायक अभियंता के पत्रांक–72 दिनांक–30.07.2023 द्वारा लिखित में भी दिया गया है फिर भी आपके द्वारा पथ में कोई सुधार नहीं किया गया है। तदुपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी दिनांक–22.04.2024 को **BRRMS App** से **Rectification Module** में अंकित होने के कारण निरीक्षण किया गया जिसमें U ग्रेडिंग प्रदान की गई। उक्त पथ में कोई भी **Rectification** का कार्य नहीं किया गया जिसके कारण त्रुटियॉ निम्न प्रकार से है :–

(1) पथ के Riding Surface में चैनेज–100, 230, 340 एवं 476 मी0 तथा अन्य कई जगहों में **BT Surface** उखड़ गया है।
(2) पथ में GSB, WBM Gr-III भी कई जगहो पर उखड़ गया है।
(3) पथ के फ्लैंक में चैनेज–0मी0 से 1250मी0 तथा अन्य जगहों पर जंगल–झाड़ी की सफाई नही होना।
(4) पथ में 200m (हेक्टोमीटर पिलर एवं किलोमीटर पिलर का समुचित संख्या में नहीं रहना एवं पेंट नहीं होना।
(5) मेन बोर्ड/ अनुरक्षण पट्ट एवं लोगोबोर्ड को पुनः पेंटिग कराना एवं उसका वॉछित सूचनायें अंकित करना।

अतः आपको शख्त निर्देश दिया जाता है कि उक्त पथ में वर्णित त्रुटियॉ को यथाशीघ्र एक सप्ताह के अन्दर सुधार करते हुए अनुरक्षण कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगें, एवं अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करेंगें। अन्यथा **SBD** के **Clause of Contract** की कंडिका–3 अन्तर्गत उप कंडिका–(iv) के तहत एकरारनामा को विखंडित करते हुए कालीकृत करने हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा कर दी जायेगी साथ ही आपके विरूद्ध और भी दंडात्मक कार्रवाई अलग से की जायेगी। जिसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार आप स्वंय होगें।

विश्वासभाजन
25/4/24
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा–2

ज्ञापांक 733. / दिनांक 25/04/2024

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा/ नोडल पदाधिकारी BRRMS ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

25/4/24
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा–2